लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1230
01 दिसम्बर, 2014 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

1230. डॉ. बूरा नरसैय्या गौड:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के कार्यान्वित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को तेलंगाना के खम्मम जिले में गठन दिवस के 6 महीने के भीतर ही एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करना है क्योंकि राज्य के गरला, नकोन्दापल्ली, खम्मम के बैयाराम और वारंगल के गुड्डूर क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध है;

(ख) इस संबंध में अब तक सरकार/सेल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु सेल द्वारा कब तक प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री श्री विष्णु देव साय

(क) : आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की 13वीं अनुसूची के अनुसार तेलंगाना के खम्मम जिले में एक एकीकृत स्टील संयंत्र की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा निर्धारित तिथि अर्थात् दिनांक 2.6.2014 से 6 माह के भीतर की जानी है।

(ख) और (ग): सेल को निर्धारित तिथि के भीतर खम्मम जिले में एकीकृत स्टील संयंत्र की स्थापना की व्यवहार्यता जांच करने और व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, सेल द्वारा एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

***